खण्ड-422, अंक-4
गुरुवार, 17 फाल्गुन, शक संवत् 1919
(26 फरवरी, 1998 ई0)

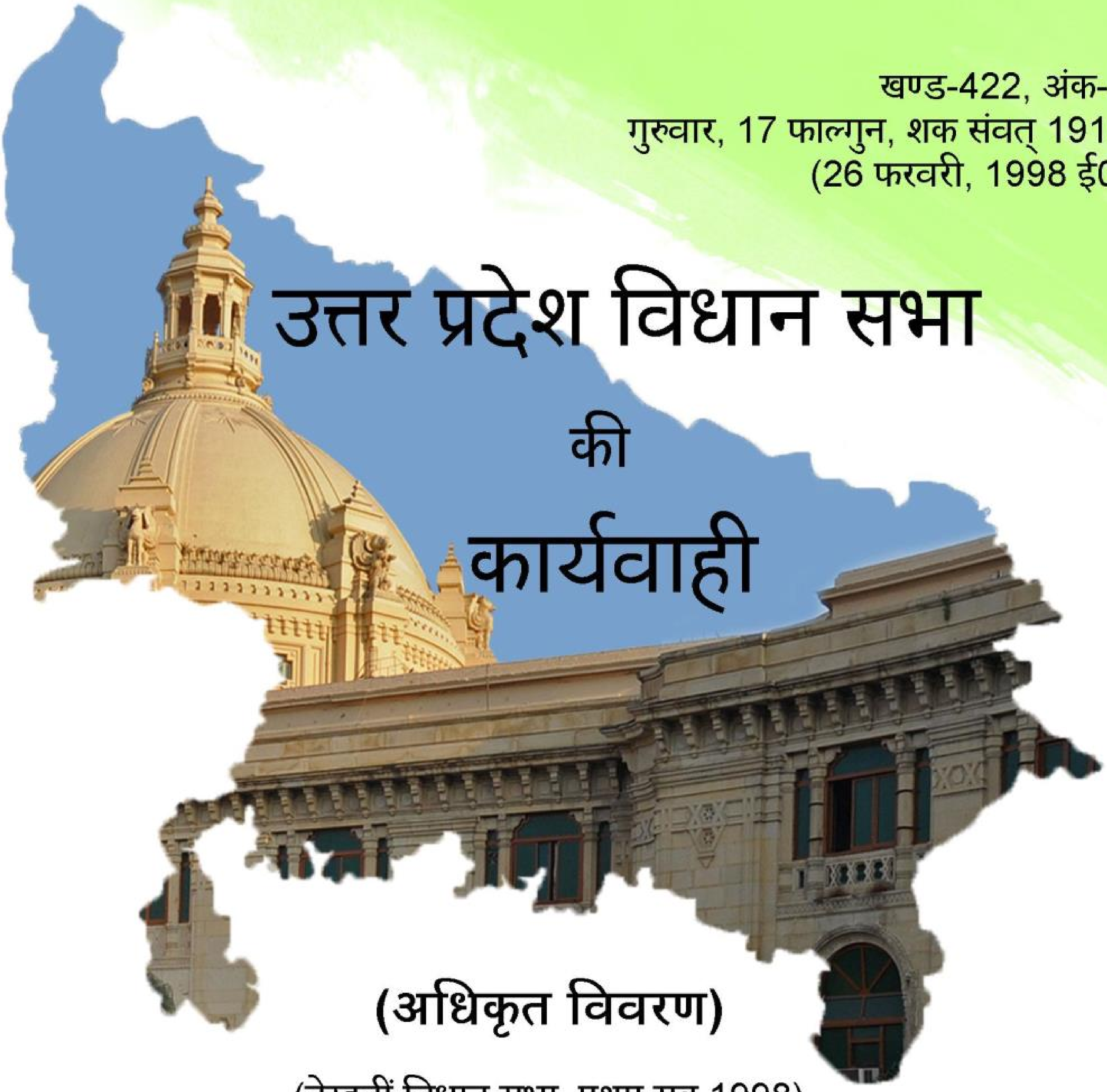

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1998)

खण्ड 422 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1998

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 21 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क
राष्ट्रीय–गीत	1
प्रदेश में मुख्य मंत्री पद के दो दावेदार होने तथा बहुजन समाज पार्टी के 12 विधायकों की वर्तमान स्थिति की जानकारी के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	1–2
भारत के उच्चतम् न्यायालय में दायर स्पेशल लीव अपील (सिविल) संख्या–4495/98 जगदम्बिका पाल बनाम भारत सरकार एवं अन्य में मा० उच्चतम् न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश)	2–4
मतदान से संबंधित उठायी गयी आपत्तियों पर श्री अध्यक्ष का निर्णय तथा मतदान हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया की जानकारी	5–17
प्रदेश में मुख्य मंत्री पद के दो दावेदार श्री कल्याण सिंह तथा श्री जगदम्बिका पाल के मध्य मतदान एवं परिणाम	17–30
सदन के अनिश्चित काल तक के लिये स्थगन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	31
राष्ट्रगान	31

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

गुरुवार, दिनांक 26 फरवरी, 1998

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

1–कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री (सहारनपुर)

2–पीटर फैन्थम, श्री (नाम निर्देशित सदस्य)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

राष्ट्रीय-गीत

श्री अध्यक्ष–

प्रदेश की इस तेरहवीं विधान सभा के इस विशेष अधिवेशन में सभी माननीय सदस्यों का स्वागत है। हम सब आज की कार्यवाही "वन्दे मातरम्" से प्रारम्भ करते हैं।

वन्दे मातरम्
वन्दे मातरम् । वन्दे मातरम् ॥
सुजलाम्
सुफलाम्
मलयज शीतलाम् ।
शस्य श्यामलाम् ।
मातरम् । वन्दे मातरम् ।
शुभ्र-ज्योत्सना–पुलकित-यामिनीम्
फुल्ल-कुसुमित-द्रुमदल-शोभिनीम्
सुहासिनीम्
सुमधुर भाषिणीम्
सुखदाम्
वरदाम्
मातरम् । वन्दे मातरम् ॥

प्रदेश के मुख्य मंत्री पद के दो दावेदार होने तथा बहुजन समाज पार्टी के 12 विधायकों की वर्तमान स्थिति की जानकारी के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया स्थान ग्रहण कर लें। कृपया स्थान ग्रहण कर लीजिये। (व्यवधान) कृपया स्थान ग्रहण कर लें। आज कोई व्यवस्था नहीं है, केवल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार आज जो एजेन्डा पर कार्यसूची में केवल एक कार्य है, वही होगा।

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, सदन में आज दो लोग मुख्य मंत्री पद के दावेदार हैं। माननीय उच्चतम् न्यायालय ने उनको बराबर का दर्जा दिया है, उसके बावजूद भी श्री जगदम्बिका पाल के बैठने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। दूसरी बात यह है कि बसपा के 12 विधायकों का मामला विचाराधीन पड़ा है। मैंने आज आपको पत्र भी लिखा है। आपने कहा है कि निर्णय सुरक्षित है।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपकी आपत्ति पर व्यवस्था दे देता हूं।

श्री धनीराम वर्मा–

आज सदन बैठा हुआ है, इससे ज्यादा उचित अन्य कोई जगह नहीं हो सकती है । यहीं पर घोषणा कर देंगे ।

श्री अध्यक्ष–

अब किसी को नहीं सुनूंगा । माननीय नेता विपक्ष ने जो दो बातें कही हैं, हम अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की जानकारी दे देंगे, उसके पश्चात् आपकी एक समस्या का स्वतः समाधान हो जायेगा । जहां तक 12 माननीय बहुजन समाज पार्टी के विधायकों का प्रश्न है, यह मतदान बैलेट बाक्स के माध्यम से, बैलेट पेपर के माध्यम से खुला मतदान होगा और इस प्रकार सब को मालूम हो जायेगा कि जिन 12 बहुजन समाज पार्टी के विधायकों की सदस्यता पर प्रश्न चिह्न लगा है, उन्होंने किसको मत दिया है, इसलिये इसमें किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए ।

श्री प्रमोद कुमार–

21 अक्टूबर को मतदान किया था, वह आज का प्रकरण नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने कल रात को 10 बजकर 5 मिनट तक सुनवाई की है, लम्बी सुनवाई की है, तमाम विधायकों का प्रश्न है, मैंने निर्णय सुरक्षित कर लिया है ।

(नेता विरोधी दल, श्री प्रमोद कुमार एवं श्री राम जग आदि कई सदस्यों के खड़े होने पर)

कृपया बैठ जाइये । आप कृपया बैठ जाइये । माननीय प्रमोद कुमार जी कृपया बैठ जायें । अपना स्थान ग्रहण करिये । कृपया बैठ जायें । कृपया बैठ जायें । माननीय रामजग जी, कृपया बैठ जायें । कृपया अपना आसन ग्रहण करें । वह दूसरा क्षेत्राधिकार है, वह जुरिस्डिक्शन दूसरा है । मैंने अपना निर्णय सुरक्षित कर रखा है उचित समय पर वह निर्णय आयेगा । कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । कृपया बैठ जायें । माननीय नेता विपक्ष कृपया अपना आसन ग्रहण करें । कृपया अपना आसन ग्रहण करें ।

भारत के उच्चतम् न्यायालय में सायर स्पेशल लीव अपील (सिविल) संख्या 4495/98 जगदम्बिका पाल बनाम भारत सरकार एवं अन्य में मा० उच्चतम् न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश

श्री अध्यक्ष–

अब मैं मद संख्या 2 ले रहा हूं । माननीय उच्चतम् न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, मैं उसे पढ़ रहा हूं । नत्थी–ख में आज की कार्यसूची में वह प्रकाशित भी हुआ है । यह अंग्रेजी में है, मैं इसका अनुवाद जहां-जहां आवश्यकता होगी, करूं दूंगा, सभी माननीय सदस्य इसे समझते हैं ।

ITEM NO. A COURT NO. 4 SECTION XI

SUPREME COURT OF INDIA

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

RECORD OF PROCEEDINGS

कार्यवाही का रिकार्ड

Petition (s) for Special Leave to Appeal (Civil) No. 4495/98

विशेष अनुमति की अपील (दीवानी) सं० 4495/98

(From the Judgement and order dated 23/02/98 in U.P. 7151/98 of the HIGH COURT OF ALLAHABAD)

(इलाहाबाद उच्च न्यायालय रिट सं० 7151/98 में दिये गये निर्णय दिनांक 23 फरवरी, 1998 के निर्णय के विरुद्ध)

JAGDAMBIKA PAL. Petitioner
जगदम्बिका पाल याची

Versus
बनाम

UNION OF INDIA AND ORS. Respondent
यूनियन आफ इंडिया एण्ड आदर्स. रेस्पान्डेंट

(With prayer for Interim relief)
(अंतरिम आदेश की प्रार्थना के साथ)

Date : 24/02/98 this Petition was called on for hearing today.
तिथि 24-2-98 को यह याचिका बहस के लिये प्रस्तुत

CORAM :

HON'BLE THE CHIEF JUSTICE
HON'BLE MR. Justice S. C. AGRAWAL.
HON'BLE MR. Justice K. T. THOMAS

For Petitoner (s) Mr. Kapil Sibal, Sr. Adv.
Mr. Ranjit Kumar, Adv.
Mr. Lalit Bhasin, Adv.
Dr. Ashok Nigam, Adv.
Ms. Anu Mohla, Adv.

For Respondent (s) Mr. HN Salve, Sr. Adv.
(State of U. P.) Mr. Adarsh K Goel, Addl. Advocate General
Mr. Yatindra K Singh, Addl. Advocate General
Mr. RC Verma, Adv.
Mr. RB Misra, Adv.
Mr. Kamlendra Mishra, Adv.
Mr. Arvind Verma, Adv.
Mr. Karvin Gukati, Adv.

For Res. No. 4 Mr. Soli J Sorabjee, Sr. Adv.
Mr. Arun Jaitley, Sr. Adv.
Ms. Shiela Goel, Adv.

(UPON HEARING COUNSEL, THE COURT MADE THE FOLLOWING ORDER)
(अधिवक्ताओं की बहस सुनने के पश्चात् न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश दिया)

We have heard learned counsel for the petitioner. We have also heard learned counsel for the Caveators. On hearing them, the order which commends to us is as follows :

उत्तर प्रदेश विधान सभा

हमने याची के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुन ली । हमने कैवियेटर के अधिवक्ता की भी बहस सुन ली । उनको सुनने के पश्चात् जो आदेश हमें उचित प्रतीत होता है, वह इस प्रकार है–

(i) A special Session of the Uttar Pradesh Assembly be summoned/ convened for 26th February, 1998, the session commencing forenoon.

उत्तर प्रदेश की विधान सभा का एक विशेष उपवेशन 26 फरवरी, 1998 को बुलाया जाये और यह उपवेशन पूर्वाह्न में प्रारम्भ होगा ।

(ii) The only Agenda in the Assembly would be to have a composite floor-test between the contending parties in order to see which out of the two contesting claimants of Chief Ministership has a majority in the House.

विधान सभा की कार्य सूची में केवल एक कार्य होगा और वह यह होगा कि यह तय किया जाये कि सम्मिलित कम्पोजिट फ्लोर टेस्ट के द्वारा जिससे यह पता चल सके कि दोनों पक्षों के बीच में किस व्यक्ति को मुख्य मंत्री पद के लिये इस सदन का बहुमत प्राप्त है ।

(iii) It is partinently emphasised that the proceedings in the Assembly shall be totally peaceful and disturbance, If any, caused therein would be viewed seriously.

इस बात पर विशेष बल दिया जाता है कि विधान सभा की कार्यवाही पूर्णतः शान्तिपूर्ण होगी और यदि कोई व्यवधान किया जाता है तो उस पर गम्भीर रुख अख्तियार किया जायेगा ।

(iv) The result of the composite floor-test would be announced by the Speaker faithfully and truthfully.

यह जो कम्पोजिट फ्लोर टेस्ट होगा सदन के फ्लोर पर, इसका परिणाम अध्यक्ष विधान सभा सत्य निष्ठा के साथ घोषित करेंगे ।

The result is expected to be laid before us on 27th February, 1998 at 10.30 AM when this bench assembles again.

यह जो परिणाम घोषित होगा, ऐसी अपेक्षा है कि 27 फरवरी, 1998 को 10.30 बजे प्रातः जब यह न्यायालय एकत्रित होगा, तब प्रस्तुत किया जायेगा ।

Ancillary directions are that this order shall be treated to be a notice to all the MLAs, leaving apart the notices the Governor/Secretariat is supposed to issue.

अनुसांगिक निदेश यह है कि यही आदेश सभी विधायकों को सूचना समझी जायेगी और उस सूचना के अतिरिक्त जो राज्यपाल महोदय और सेक्रेटेरिएट यानी सचिवालय के द्वारा जारी किया जाना है।

In the interregnum, no major decisions would be made by the functioning Government except attending to routine matters, not much of any consequence.

इस बीच में कार्यकारी सरकार के द्वारा कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया जायेगा सिवाय इसके कि आमतौर से जो सामान्य रूप से कार्य होता है, वह निष्पादित होगा, जिनका कोई बहुत बड़ा परिणाम नहीं होगा ।

To come up on 27th February, 1998 as part-heard.

27 फरवरी, 1998 को आधा सुना हुआ बाद के रूप में यह प्रस्तुत हो ।

Sd/-
KANCHAN JAIN
AR-cum-PS

Sd/-
H. K. BHATIA
Court master
Date 24-2-98

मतदान से संबंधित उठायी गयी आपत्तियों पर श्री अध्यक्ष का निर्णय तथा मतदान हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया की जानकारी

श्री अध्यक्ष–

मैं उसी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार सदन की कार्यवाही.....

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

सर्वोच्च न्यायालय ने आपकी विश्वसनीयता पर शंका प्रकट की है इसलिये इस अध्यक्ष पद की गरिमा के लिये आपको चाहिए कि मतदान में स्वयं न रहकर किसी प्रोटेम अध्यक्ष को नियुक्त करें। इसके अलावा 12 विधायकों का निर्णय लम्बित है। उससे भी आपकी विश्वसनीयता गिरी है। पहले 12 विधायकों के बारे में निर्णय दें।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात सुन लिया मैंने। मैंने आपकी आपत्ति सुन ली। सर्वोच्च न्यायालय ने इस सदन की और सदन के अध्यक्ष की गरिमा का पूरा ध्यान रखा है। सदन के अध्यक्ष से सदैव यह अपेक्षा की जाती है कि वह निष्पक्षता पूर्वक, सत्य निष्ठा के साथ अपने कार्य का निष्पादन करेगा। उच्चतम् न्यायालय ने केवल इसी बात को दोहराया है कोई नयी बात नहीं की उच्चतम् न्यायालय के इस आदेश में कहीं सदन के अध्यक्ष के बारे में कोई आक्षेपात्मक बात नहीं कही गयी है। जहां तक.....

डा० अम्मार रिजवी–

अध्यक्ष महोदय, फैसला नहीं समझा मैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय डाक्टर साहब इस तरह से तो मतदान प्रारम्भ नहीं हो पायेगा।

डा० अम्मार रिजवी–

आप कहते हैं कि यह सारे एम० एल० एज० को नोटिस समझी जायगी। इसमें कोई संदेह नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

कोई संदेह नहीं मेरे खिलाफ उच्चतम् न्यायालय के द्वारा इस आदेश के माध्यम से जो सूचना मिली है, सब माननीय सदस्य यहां पर उपस्थित हों।

डा० अम्मार रिजवी–

अगर यह नोटिस समझी जायगी तो जो लोग जेलों में बंद हैं उनको भी नोटिस समझी जायगी। आपका कर्तव्य है कि उनको पहले जेल से लायें तब यहां की कार्यवाही हो।

श्री अध्यक्ष–

माननीय डाक्टर साहब आप मेरी व्यवस्था सुन लें। अगर सदन की कार्यवाही को बिना व्यवधान के चलने देंगे, आपको सारी व्यवस्था मालूम हो जायगी।

डा० अम्मार रिजवी–

सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की कंप्लायंस करके आपने क्या व्यवस्था दी हम यह जानना चाहेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विपक्ष ने जो बात कही मैंने उस पर व्यवस्था दे दी कि उच्चतम् न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि स्पीकर ही यहां की कार्यवाही करेंगे। उनके इस पैराग्राफ 3 से बहुत स्पष्ट है।

डा० अम्मार रिजवी–

मान्यवर,

श्री अध्यक्ष–

माननीय डाक्टर साहब बैठ जायं । 12 बहुजन समाज पार्टी के विधायकों के संबंध में याचिका का प्रश्न है, उसके संबंध में यह सदन भी अध्यक्ष, कब निर्णय दें, कब निर्णय न दें, बाध्य नहीं कर सकता है ।

(श्री रामतेज यादव एडवोकेट, श्री अम्बिका चौधरी आदि के एक साथ बोलने से घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने कह दिया है । आपको जो कहना है उच्चतम् न्यायालय में कहियेगा ।

सुश्री मायावती–

यह जो 12 विधायक हैं उनके नाम सूची में कैसे हैं ?

श्री अध्यक्ष–

आपको जो कहना है उच्चतम् न्यायालय में कहियेगा । माननीय सुश्री मायावती जी आपको जो कहना है माननीय उच्चतम् न्यायालय में कहियेगा । मैं उच्चतम् न्यायालय के आदेश के अनुसार इस कार्यवाही को कर रहा हूं । कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

सुश्री मायावती–

आपने उनकी मेम्बरशिप का क्या किया ? हमने कल आपको एक चिट्ठी लिखी है ।

(कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें । आपने दिया है, उस पर संज्ञान लिया है । उस पर कार्यवाही हो रही है, निर्णय सुरक्षित कर लिया है ।

(सुश्री मायावती, श्री प्रमोद कुमार खड़े होकर बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जायं, यह कुछ लिखा नहीं जायेगा ।

सुश्री मायावती–

अध्यक्ष जी, [× × ×]

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जायं, कुछ नहीं लिखा जायेगा सुश्री मायावती जी जो कह रही हैं ।

(इसके बाद सुश्री मायावती और श्री प्रमोद कुमार बैठ गये ।
श्री प्रमोद कुमार के पुनः खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय प्रमोद जी मैं आपको कोई प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूं । कृपया बैठ जायं । कृपया बैठ जाइये । उच्चतम् न्यायालय ने कहा है कि कार्यवाही व्यवधान रहित चलनी चाहिए । कोई दूसरा मुद्दा आज नहीं उठाया जायेगा सिवा मतदान के । कृपया बैठ जाइये । मैं केवल मतदान कराऊंगा और कुछ नहीं कराऊंगा ।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री प्रमोद कुमार–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

मैं कुछ नहीं सुनूंगा । अच्छा, मुझे अवसर देंगे कि मैं प्रक्रिया बतलाऊं ? बीच में खड़े हो गये ।

(श्री प्रमोद कुमार के खड़े रहने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जाइये । आप कृपया बैठ जाइये व्यवधान मत उत्पन्न करिये । पहले मुझे प्रक्रिया घोषित करने दीजिये । पहले मैं प्रक्रिया घोषित कर रहा हूं आप बैठ जाइये । केवल मतदान के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं होगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जाइये, आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं । कृपया बैठ जाइये । (श्री प्रमोद कुमार के खड़े रहने पर) आप कृपया बैठ जाइये ।

श्री धनीराम वर्मा–

स्पष्टीकरण दे दीजिये ।

श्री प्रमोद कुमार–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया बैठ जाइये, मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का शब्दशः पालन कर रहा हूं । कृपया बैठ जाइये, मतदान की कार्यवाही प्रारम्भ होने दीजिये ।

श्री प्रमोद कुमार–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

आप अनावश्यक बात न करें कृपया बैठ जायं । मैं आपको निर्देश दे रहा हूं, कृपया बैठ जाइये । मैंने अभी प्रक्रिया बतायी नहीं आप खड़े हो गये बोलने के लिये कृपया बैठ जाइये ।

श्री प्रमोद कुमार–

[× × ×]

(श्री प्रमोद कुमार के निरन्तर खड़े रहने पर)

श्री अध्यक्ष–

मा० प्रमोद कुमार जी बैठ जाइये । मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार मतदान की प्रक्रिया बता रहा हूं, मतदान कराने जा रहा हूं । पहले मैं प्रक्रिया बताऊंगा उसके बाद अगर कोई कठिनाई होगी तो स्पष्ट करूंगा । यह कोई आवश्यक नहीं है कि हर बात में आप खड़े हो जायं बोलने के लिये, कृपया बैठ जाइये । अभी तक जितना माननीय प्रमोद कुमार जी ने कहा है वह कार्यवाही का भाग नहीं

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

होगा । आप मेरी अनुमति के बगैर बोल रहे हैं । कृपया बैठ जाइये आप । मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

[× × ×]

(श्री प्रमोद कुमार के खड़े रहने पर)

श्री अध्यक्ष–

आपकी समझ में नहीं आयेगा । इसलिये कि समझने के लिये किसी और चीज की आवश्यकता है, आपकी समझ में नहीं आयेगा । कृपया बैठ जाइये । कृपया बैठ जाइये आप । यह लिखा नहीं जायेगा ।

(श्री प्रमोद कुमार ने आसन नहीं ग्रहण किया)

श्री अध्यक्ष–

आप पहले बैठिये । अच्छा आप बैठेंगे कि नहीं ? पहले आप मुझे यह बतायें ।

(माननीय प्रमोद कुमार बैठ गये और फिर खड़े हो गये गये)

श्री प्रमोद कुमार–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जाइये । आप सदन में उत्तेजना फैला रहे हैं । आप सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं । मैं कह रहा हूं, अरे आप पहले बैठ जायें, मैं प्रक्रिया बता रहा हूं । उन 5 के बारे में भी बता रहा हूं ।

(सुश्री मायावती ने सदन में एक कागज दिखाया)

सुश्री मायावती–

यह 12 विधायक उधर क्यों बैठे हुए हैं ? उनको वहां नहीं बैठना चाहिए । (शोर) आपने कैसे बैठाल रखा है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मायावती जी कृपया बैठ जाइये । आप सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न कर रही हैं ? कृपया बैठ जाइये ।

श्री धनीराम वर्मा–

यह आपकी [× × ×]

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विपक्ष आप तो बैठ जायें, आप तो अध्यक्ष रह चुके हैं ।

(श्री प्रमोद कुमार के खड़े रहने पर)

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

नोट : [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय प्रमोद कुमार जी कृपया बैठ जाइये । आप बड़ा ज्यादा, आप क्या तमाशा कर रहे हैं ? पहले आप बैठ जाइये । यह आप जाइयेगा उच्चतम् न्यायालय में प्रश्न उठाइयेगा । आप बैठ जाइये माननीय प्रमोद जी ।

श्री धनीराम वर्मा–

आपने कैसे बैठा रखा है ?

श्री अध्यक्ष–

मैंने नहीं बैठा रखा है । आप कृपया बैठिये ।

मैं विधान सभा में बहुमत की जानकारी के संबंध में सदस्यों द्वारा मतदान हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया पढ़ रहा हूं :—

माननीय सदस्यगण, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि विधान सभा का यह विशेष उपवेशन माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल संख्या 4495/98 जगदम्बिका पाल बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में दिनांक 24 फरवरी, 1998 को दिये गये निदेशानुसार आज बुलाया गया है । इस विशेष उपवेशन की कार्यसूची में एक मात्र कार्य उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री पद के दावेदारों में से एक के प्रति माननीय सदस्यों द्वारा सदन में मतदान द्वारा बहुमत की जानकारी प्राप्त करने के प्रश्न पर निर्णय लिया जाना है । उच्चतम् न्यायालय के निदेशों को दृष्टिगत रखते हुए मैंने सदन में बहुमत की जानकारी प्राप्त करने हेतु जो प्रक्रिया निर्धारित की है उसे मैं पढ़कर सुना रहा हूं । माननीय सदस्यगण कृपया ध्यान पूर्वक उसे सुन लें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, पहले सुन लें.....

श्री अध्यक्ष–

माननीय प्रमोद कुमार जी, आप सदन की भी अवमानना कर रहे हैं और सर्वोच्च न्यायालय की भी अवमानना कर रहे हैं, कृपया बैठ जायं ।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

अध्यक्ष जी जरा सुन लें, श्री जगदम्बिका पाल जी के बैठने की कहां जगह रखी है, वह कहां बैठेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

मुझे प्रक्रिया पढ़ लेने दीजिये–

सदन में बहुमत की जानकारी करने के प्रश्न पर विनिश्चय हेतु सभी माननीय सदस्यों के नाम उनके निर्वाचन क्षेत्रवार पुकारे जायेंगे । जिन माननीय सदस्यों के नाम पुकारे जायं वे मेरे सामने रिपोर्टर्स टेबुल पर ड्यूटी पर तैनात अधिकारी से अपना मतपत्र प्राप्त करने हेतु मतपत्र के प्रतिपर्ण पर हस्ताक्षर करेंगे और उसी प्रकार से मतपत्र के उर्ध्व भाग पर भी हस्ताक्षर करेंगे । तभी उन्हें मतपत्र दिया जायेगा । आपको दिये जाने वाले मतपत्र पर दो स्तम्भ बने हैं एक में श्री कल्याण सिंह का नाम है और दूसरे में श्री जगदम्बिका पाल का । माननीय सदस्यगण अपना मत अंकित करने हेतु कृपया मतपत्र पर बने स्तम्भों में से किसी एक स्तम्भ के आगे खाली स्थान पर अपने स्पष्ट हस्ताक्षर करेंगे । यह ध्यान रहे कि ऊपर बतलाये गये दो स्तम्भों में से केवल एक में ही माननीय सदस्य अपने हस्ताक्षर करेंगे । यदि वे दोनों स्तम्भों में अपने हस्ताक्षर कर देंगे तो उनका मत किसी के पक्ष में नहीं गिना जायेगा और यदि किसी सदस्य ने बिना मत अंकित किये मतपत्र पेटी में डाल दिया है तो उनके बारे में यह माना जायेगा कि वे

मतदान करने से विरत रहे हैं । मतपत्र के एक स्तम्भ में अपना हस्ताक्षर करने के बाद माननीय सदस्यगण मेरे सामने रखी मत पेटिका में अपनी मत पत्र डाल देंगे और अपने स्थान पर पुनः जाकर बैठ जायेंगे । मतदान की प्रक्रिया प्रारम्भ होने से पूर्व ऐसे समस्त व्यक्ति जो विधान सभा के सदस्य नहीं हैं अथवा ड्यूटी पर तैनात नहीं हैं विधान सभा मण्डप एवं उसकी दोनों लाबियों के बाहर चले जायेंगे । मंत्रि परिषद् के ऐसे सदस्यों जो विधान सभा के सदस्य नहीं हैं अथवा विधान परिषद् के सदस्य हैं उन्हें तथा महाधिवक्ता को सदन में बैठने की अनुमति है परन्तु उन्हें मत देने का हक नहीं होगा ।

विधान सभा मण्डप एवं उसकी दोनों लाबियों में विधान सभा सचिवालय के वही अधिकारी/कर्मचारी मतदान के समय रह सकेंगे जिनकी सदन के कार्य हेतु ड्यूटी लगाई गयी है.....

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

मान्यवर, हमें सुन लें.....

श्री अध्यक्ष–

माननीय ओम प्रकाश जी मुझे प्रक्रिया पढ़ लेने दीजिये ।

मतदान प्रारम्भ होने से पूर्व 5 मिनट तक घंटी बजायी जायेगी । घंटी बंद होने पर सदन के बाहरी दरवाजे बंद कर दिये जायेंगे और जब तक मतदान का परिणाम घोषित नहीं कर दिया जायेगा तब तक वे खोले नहीं जायेंगे ।

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों द्वारा अनुरोध किये जाने पर अपना परिचय-पत्र उन्हें अवश्य दिखला दें । यदि वह अपना परिचय-पत्र लाना भूल गये हों तो अपने परिचय का समाधान ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को अवश्य करा दें ।

माननीय सदस्यगण से यह भी अनुरोध है कि वे कृपया सदन में मतदान के समय पूरी शांति बनाये रखें और किसी भी प्रकार का व्यवधान न उत्पन्न करें । सभी माननीय सदस्यों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह मतदान को प्रभावित करने का प्रयास न करें । मैंने मतदान की पूरी कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिंग कराये जाने की व्यवस्था की है और सदन में चल रही प्रत्येक गतिविधियों की रिकार्डिंग की जा रही है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आपकी आवाज सदन को नहीं सुनाई दे रही है । यह माइक काम नहीं कर रहा है और आपके पास मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है ।

श्री अध्यक्ष–

आप शांत रहेंगे तो पूरी आवाज सुनाई पड़ेगी ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, नेता विरोधी दल ने जो प्रश्न उठाये उनका समाधान हो जाये, नहीं तो दोनों प्रश्न अनुत्तरित रह जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

अभी मैंने उस पर व्यवस्था दे दी है । मुझे अपनी बात तो आप कहने दें । मुझे अपनी बात समाप्त करने देंगे तो बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जायेगा ।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

मान्यवर, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच फैसला होगा तो एक मुख्य मंत्री तो बैठे हैं दूसरे कन्टेस्टेंट श्री जगदम्बिका पाल साहब कहां बैठें, इसके बारे में आप सूचित करें ?

श्री अध्यक्ष–

आप सुन तो लीजिये । आप पहले सुन तो लीजिये कृपया बैठ जाइये । आपने कोई प्रश्न उठाया है उसका मैं उत्तर दे रहा हूं व्यवस्था दे रहा हूं । कृपया पहले आप स्थान ग्रहण करें । आप मुझे अपनी बात समाप्त कर लेने दीजिए तो आपकी शंकाओं का समाधान हो जाएगा आप कृपया बैठ जाएं ।

(श्री इकबाल महमूद के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जाएं । माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि माननीय कल्याण सिंह तथा माननीय जगदम्बिका पाल में से किसको बहुमत प्राप्त है, यह सदन मतदान के द्वारा तय कर ले किसी को भी किसी प्रकार से कोई असुविधा न हो, आपत्ति न हो.....

श्री प्रमोद कुमार आप क्या इशारा कर रहे हैं ? आप उत्तेजना पैदा करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं ? मैं आपके इशारों को देख रहा हूं सारा सदन आपके इशारों को देख रहा है ।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय उच्चतम न्यायालय ने आपके लिये यह भी तो कहा है कि आप ट्रुथफुली और फेथफुली फ्लोर टेस्ट एनाउन्स करेंगे तो आप यह बताएं कि जो माननीय सदस्य जेल में बन्द हैं उनको सरकार को रिहा कर देना चाहिए ।

(श्री प्रमोद कुमार के खड़े रहने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जाइये । आप अनावश्यक खड़े होकर बेकार की बात कर रहे हैं । निरर्थक बातें आप कह रहे हैं । कृपया बैठ जाएं ।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

जैसे आपने माइक निकलवा दिये वैसे ही नेम प्लेट निकलवा दिये होते ।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया बैठ जाइये ।

उच्चतम न्यायालय की भावनाओं के प्रति पूरा सम्मान प्रदर्शित करते हुए मैंने मंच पर दो कुर्सियों की व्यवस्था कर दी है । एक कुर्सी पर माननीय कल्याण सिंह जी बैठेंगे मेरे बगल में, एक कुर्सी पर माननीय जगदम्बिका पाल जी बैठेंगे मेरे बगल में ।

(माननीय जगदम्बिका पाल का नाम पुकारे जाने पर)

(माननीय जगदम्बिका पाल अध्यक्ष पीठ के बायीं तरफ पड़ी कुर्सी पर माननीय सदस्यों को हाथ जोड़ते हुए जाकर बैठ गये ।)

(माननीय कल्याण सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

(माननीय कल्याण सिंह अध्यक्ष पीठ के दायीं ओर रखी कुर्सी पर सभी माननीय सदस्यों को हाथ जोड़ते हुए जाकर बैठ गये ।)

(श्री अंसारी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय अंसारी जी कृपया बैठ जायें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मतदान शुरू करने के पहले मैं आग्रह करूंगा कि पीठ की गरिमा और प्रतिष्ठा को देखते हुए यह फैसला कर दीजिये, सदन को सूचित कर दीजिये कि 12 बसपा के विधायक इधर बैठेंगे या उधर बैठेंगे इसके अलावा पांच विधायक जो जेल में बन्द हैं उनके बारे में क्या फैसला है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय रेवती रमण सिंह जी कृपया बैठ जायें ।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

मान्यवर, विचार तो सुन लें । ऐतिहासिक निर्णय होने जा रहा है । हर पार्टी के सम्मानित सदस्यों को सुन तो लें ।

(कई मा० सदस्यों के खड़े रहने पर)

श्री अध्यक्ष–

बैठ जाइये, कृपया बैठ जाइये । मैं सुन रहा हूं । आप कृपया बैठ जाइये । माननीय सदस्यों ने यह कहा है पहले तो मैं जो लोग राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में..... (श्री ओम प्रकाश द्वारा बोलने पर) आप बैठ जाइये । मैं बता देता हूं । मैं वही तो बताने जा रहा हूं । आप मुझे व्यवस्था नहीं देने देंगे ओम प्रकाश जी क्या ? जो इस सदन के पांच माननीय सदस्य राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत निरुद्ध किये गये हैं उनके संबंध में मैंने निर्देश दे दिया है कि वह यहां लाये जायेंगे और जब दूसरे माननीय सदस्य मतदान कर लेंगे उसके पश्चात् उनका मतदान यहां हो जायेगा क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों को आने में विलम्ब हो जाय । इसलिये मैंने कहा कि जब अन्य माननीय सदस्य जो यहां उपस्थित हैं उनका मतदान हो जायेगा तो उन पांच माननीय सदस्यों का मतदान हो जायेगा । जहां तक आपने कहा कि माननीय 12 ब० स० पा० विधायकों के बारे में तो विधान सभा सचिवालय में जो व्यवस्था की है उसमें दल के माननीय सदस्यों के बैठने के लिये स्थान है लेकिन हम क्या बाध्य कर सकते हैं कि किसी दल का माननीय सदस्य उसी सीट पर बैठे ? सीट तो निर्धारित है नहीं यहां । दलों के लिये स्थान निर्धारित है एक बात और दूसरी बात अब जब उच्चतम न्यायालय....

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आपने तो तख्तियां लगवा रखी हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जाइये । मैं व्यवस्था दूंगा । वह मेरी जिम्मेदारी है । पहले आप बैठ जाइये । मेरी जिम्मेदारी कितनी है कितनी नहीं है मैं समझता हूं । आप बैठ जायें । आपको तो हर चीज में माननीय प्रमोद जी आपत्ति करनी है । आप बैठ जाइये । आप बैठ जाइये ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, [× × ×]

श्री अध्यक्ष–

जहां तक 12 माननीय ब०स०पा० के विधायकों का सवाल है । उनके बारे में निर्णय अभी नहीं हुआ है । अभी तक तो ब०स०पा० के सदस्य हैं लेकिन सदन में कहां बैठें, कहां नहीं बैठें, यह उनका विवेक है । इसके बारे में उच्चतम न्यायालय में जब यह याचिका चल रही है लम्बित है तो यह आपके

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

दल का आंतरिक अनुशासन का मामला है इसमें सदन को पक्षकार मत बनाइये । अब मैं मतदान की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा हूं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, 12 सदस्य जो उधर बैठे हैं इन्होंने दल बदल किया है ।

श्री अध्यक्ष–

कुंवर रेवती रमण सिंह जी आप बैठ जाइये । ऐसे तो यह अनन्त काल तक आपत्ति चलती रहेगी । अभी यह इस सदन के सदस्य हैं । देखिये इसके बारे में सुन लीजिये । मैं वह भी व्यवस्था दे देता हूं । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 23 फरवरी, 1998 के निर्णय के अनुसार 21 फरवरी, 98 को कल्याण सिंह के मंत्रि परिषद् को बर्खास्त किये जाने के आदेश को अभी स्थगित कर दिया है और उन्होंने बर्खास्तगी के आदेश के पहले की स्थिति को बहाल कर दिया । आज इस सदन में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हुए और उस निर्णय के अनुरूप जो महामहिम राज्यपाल ने विज्ञप्ति जारी की है उसके अनुरूप यहां बैठने की व्यवस्था माननीय मंत्रीगण की है । मंत्रि-परिषद् का गठन राज्यपाल करते हैं मंत्रि-परिषद् का गठन इस सदन नहीं करता । तो महामहिम राज्यपाल ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में जो विज्ञप्ति जारी की है उसी के अनुरूप यह व्यवस्था है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

यह 12 सदस्यों का मामला आपके सामने विलम्बित है । यह बी० एस० पी० के सदस्य हैं कि बी० जे० पी० के हैं ?

श्री अध्यक्ष–

मैंने व्यवस्था दे दी है । मैं किसी सदस्य को किस कुर्सी पर बैठे इसके लिये बाध्य नहीं कर सकता हूं। इस सदन के दो माननीय सदस्य..... आप लोग कृपया बैठ जायें । मुझे जो व्यवस्था देनी थी मैंने दे दी है । आप के इस प्रश्न का मतदान की प्रक्रिया से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री प्रमोद कुमार–

आप नाम तो नहीं लिखवा सकते हैं यह तो आपने बनवाई हैं ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, आप [× × ×] फैला रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

मतदान प्लेट लगना या न लगना, जो यहां पट्टिका लगी है नाम की जो पट्टिका लगी है वह उनके मंत्री के रूप में पट्टिका लगी है सदस्य के रूप में नहीं लगी है । वह प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं इसलिये मंत्री के रूप में उनके नाम के आगे पट्टिका लगी है । इस सदन के दो माननीय सदस्य श्री सत्य प्रकाश विकल तथा श्री संदीप अग्रवाल गम्भीर रूप से अस्वस्थ हैं । इन्हें बहुत कठिनाई हो रही है इसलिये जब मैं मतदान के लिये माननीय सदस्यों के नाम पुकारूंगा तो मैं गम्भीर अस्वस्थ को ध्यान में रखते हुए माननीय श्री सत्य प्रकाश विकल और माननीय श्री संदीप अग्रवाल जी को पहले मतदान के लिये पुकारूंगा । उसके बाद जिस प्रकार से आपको जानकारी दी गयी है उसी प्रकार से मतदान होगा । अब मैं पूर्व घोषित प्रक्रिया के तहत मतदान का कार्य प्रारम्भ करता हूं । घंटी बजाई जाए ।

(इस समय 11 बजकर 34 मिनट पर मत विभाजन के लिये घण्टी बजाई गई)

श्री प्रमोद कुमार–

[× × ×]

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

कोई चीज लिखी नहीं जायेगी इसके अतिरिक्त । घंटी बजाई जाए । यह आप महामहिम राज्यपाल से पूछिये कि उन्होंने मंत्री क्यों बनाया है मैं इसका उत्तर देने के लिये जिम्मेदार नहीं हूं ।

(श्री प्रमोद कुमार के खड़े रहने पर)

बैठ जाइये, बैठ जाइये । कृपया बैठ जाइये, कृपया बैठ जाइये । यह प्रश्न उठ गया । इस पर मैंने व्यवस्था दे दी । कृपया बैठ जाइये । घंटी बज रही है पांच मिनट समाप्त होने के पश्चात् घंटी का बजना बंद होगा ।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

मान्यवर, ऐतिहासिक निर्णय होने जा रहा है पहले आप सदन के वरिष्ठ सदस्यों को सुन लें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, जो लोग इस सदन में माननीय सदस्य नहीं हैं उनके यहां बैठने का क्या औचित्य है ?

श्री अध्यक्ष–

ठीक बात, ठीक बात है मैं समझ रहा हूं । देखिए मैं बता रहा हूं जो संविधान के अन्तर्गत जो माननीय मंत्रीगण इस सदन के सदस्य नहीं हैं वह भी इस सदन में उपस्थित रह सकते हैं । इसी प्रकार महाधिवक्ता उन्हें भी सदन में उपस्थित रहने का अधिकार है जो व्यक्ति इस सदन के सदस्य नहीं हैं अर्थात् महाधिवक्ता और ऐसे मंत्री जो विधान परिषद् के सदस्य हैं इस सदन के सदस्य नहीं हैं वह मतदान में भाग नहीं लेंगे । यह एक और प्रकार से सुनिश्चित हो जाएगा । क्योंकि मैं तो.....

श्री धनीराम वर्मा–

क्या पोलिंग स्टेशन पर दूसरे लोगों को मतदान के [illegible] होती है ? मतदान में मतदाता रहना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

मैं तो इस विधान सभा के सदस्यों को मतदान के लिए आमंत्रित करूंगा । इसलिये आपत्ति केवल आपत्ति के लिये नहीं की जानी चाहिए ।

श्री अम्बिका चौधरी–

उनके बैठने का कोई उद्देश्य होगा । यहां कोई विधायी कार्य ऐसा नहीं है कि मंत्री के रूप में उनको यहां सदन में बैठने की आवश्यकता हो । वह गड़बड़ी नहीं करना चाहते हैं तो उनको हटाना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

संविधान का अनुच्छेद 177 देखें । संविधान का अनुच्छेद 177 देख लीजिए । माननीय चौधरी जी आप भी संविधान के प्राविधानों से अवगत हैं और मतदान में तो वही भाग लेगा जिसको हम यहां से, सचिव महोदय, जिनका नाम पुकारेंगे । विधान सभा के सदस्य ही मतदान में भाग लेंगे दूसरा कोई भाग नहीं लेगा । मान लीजिए कल यह लोग आपत्ति करें कि हम मंत्रि-परिषद् के सदस्य हैं महाधिवक्ता हैं संविधान के अन्तर्गत हमारे अधिकारों का आप हनन कर रहे हैं ।

(कई सदस्यों के बोलने से व्यवधान)

[× × ×]

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, केवल मतदाता ही यहां रहना चाहिए, शेष लोगों को यहां नहीं रहना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

सामान्यतया अध्यक्ष मतदान में हिस्सा नहीं लेता है, हम उसी सामान्य परम्परा का पालन करेंगे । यदि अगर संयोगवश दोनों पक्षों के वोट बराबर होंगे तो अध्यक्ष को अधिकार है कि वह अपना कास्टिंग वोट दे । मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि वह स्थिति न आवे ।

पांच मिनट समाप्त हो गये हैं । लगातार 5 मिनट तक घंटी बजने के बाद समय समाप्त हो गया है, अब सभा मण्डप के सभी मुख्य द्वार बन्द कर दिये जायं ।

(लगातार 5 मिनट घंटी बजने के उपरान्त सभा मण्डप के सभी मुख्य द्वार बन्द कर दिये गये)

अब मैं मतदान की प्रक्रिया प्रारम्भ कर रहा हूं ।

अपने माननीय सदस्यों को जो मत-पत्र तैयार किया है, वह और उसका किस प्रकार से मत पड़ेगा उसकी एक बार दुबारा जानकारी देना चाहता हूं, सभी माननीय सदस्य ध्यानपूर्वक देख लेंगे । सचिव, एक मत-पत्र दीजिए ।

(सचिव, विधान सभा ने मा० अध्यक्ष को मत-पत्र दिया और माननीय सदस्यों को माननीय अध्यक्ष ने मत-पत्र दिखाया ।)

मैं दुबारा बता दूं । सभी माननीय सदस्य यहां उपस्थित हैं कृपया ध्यानपूर्वक सुन लें । विधान सभा क्षेत्र की संख्या, क्रम संख्या–एक, दो, तीन और चार, इस तरह से सचिव–5-5 माननीय सदस्यों को मतदान के लिए आमन्त्रित करेंगे । अर्थात् विधान सभा क्षेत्र संख्या–1, विधान सभा क्षेत्र संख्या–2, वह उनको आमंत्रित करेंगे । भीड़ न हो इसीलिए 5 माननीय सदस्यों को । माननीय सदस्य जहां प्रतिवेदक बैठते हैं, आगे हमारे अधिकारी विधान सभा सचिवालय के बैठे हैं, यहां आयेंगे, एक रजिस्टर है, उस पर हस्ताक्षर करेंगे, रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के पश्चात् मत-पत्र दिया जायेगा । जो इस प्रकार है । इसका यह जो आधा हिस्सा है, यह उसका प्रतिपर्ण है जिसे सामान्य अंग्रेजी भाषा में काउन्टर फाइल कहते हैं । इसमें क्रम संख्या लिखा हुआ है । यह वही क्रम संख्या होगी जो विधान सभा क्षेत्र की क्रम संख्या है फिर माननीय सदस्य का नाम लिखा रहेगा । फिर उसके बाद निर्वाचन क्षेत्र संख्या और निर्वाचन क्षेत्र का नाम रहेगा । माननीय सदस्य आयेंगे और इस प्रतिपर्ण पर यहां हस्ताक्षर करेंगे और यहां उसी टेबिल पर जहां माननीय सदस्य हस्ताक्षर करेंगे, जो मुख्य बैलेट पेपर है उस पर हस्ताक्षर करेंगे, जब उस पर माननीय सदस्य के हस्ताक्षर होंगे, उनका नाम लिखा रहेगा, उनका निर्वाचन क्षेत्र और संख्या लिखी रहेगी । जब यह हो जायेगा तब उन्हें मत-पत्र दिया जायेगा । मत-पत्र में दो नाम लिखे हुये हैं, न मुख्य मंत्री लिखा है, न मंत्रि परिषद् लिखा है, माननीय श्री कल्याण सिंह जी और माननीय श्री जगदम्बिका पाल जी, इसके आगे यह आप देख रहे हैं कि यह एक स्थान बना हुआ है, जो माननीय सदस्य माननीय कल्याण सिंह जी के पक्ष में अपना मत देंगे वह उनके नाम के आगे अपना स्पष्ट हस्ताक्षर कर देंगे, अपना पूरा नाम लिख देंगे जो जिस प्रकार का हस्ताक्षर यहां काउन्टर फाइल और मत-पत्र के ऊपर किया है, यही हस्ताक्षर जिस महानुभाव के पक्ष में वोट देना चाहेंगे, उनके नाम के सामने अपना हस्ताक्षर कर देंगे, हस्ताक्षर स्पष्ट हो । इस प्रकार माननीय सदस्यों को 4 जगह हस्ताक्षर करने होंगे । एक तो जब आयेंगे तो रजिस्टर पर हस्ताक्षर करेंगे । दूसरे काउन्टर फाइल पर हस्ताक्षर करेंगे, तीसरे मुख्य मत पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे और चौथा हस्ताक्षर श्री कल्याण सिंह जी अथवा

श्री जगदम्बिका पाल जी जिसके भी पक्ष में वह मत देना चाहेंगे, उनके नाम के आगे यह जो रिक्त स्थान बने हुये हैं, यहां अपने हस्ताक्षर करेंगे, हस्ताक्षर करके वह मत पेटिका में अपना मत डाल देंगे। यह जो आगे हमारे टेबिल रखी हुई है, जहां से मत-पत्र जारी होगा, वहां से माननीय सदस्य मत-पत्र लेकर के आयेंगे और इधर जो हमारे बांये हाथ टेबिल रखी है यहां आकर अपना मत दर्ज करेंगे और मत पेटिका यहां रखी है उसमें अपना मत डाल देंगे।

इसी प्रकार अपनी सुविधानुसार जो माननीय सदस्य इधर से आयेंगे, चाहें तो उधर चले जायें या इधर से चले जायें।

श्री सौलत अली–

दिखायी नहीं दे रहा है।

श्री अध्यक्ष–

सौलत अली जी, आप भी देख लें।

(माननीय अध्यक्ष ने मत-पत्र दिखाया)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, हम सीक्रेट बैलेट की मांग करते हैं। आप इसका नोटिस ले लें। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार ने बहुत से लोगों को जबरदस्ती अपने कब्जे में कर रखा है।

श्री अध्यक्ष–

यहां मतदान गुप्त नहीं होगा। जैसा माननीय सदस्य अवगत हैं जब मतदान लाबी डिवीजन के माध्यम से होता है, लाबी में शीट रखी रहती है, माननीय सदस्य उस पर हस्ताक्षर करते हैं, यहां पर उस प्रक्रिया के समानान्तर प्रक्रिया है, यहां आप मत-पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। यह गुप्त मतदान नहीं है। इसें सदन में सीक्रेट बैलेट नहीं होता है। हमारी प्रक्रिया के अनुसार खुला मतदान होता है। यह सदन की कार्यवाही है। सदन में गोपनीय मतदान नहीं होता। दूसरे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निदेश दिया है, उसमें उन्होंने कम्पोजिट फ्लोर टेस्ट की बात कही है, इसलिये गोपनीय मतदान की मैं आपकी मांग को स्वीकार करने में पूर्णतः असमर्थ हूं।

अब मैं मतदान की प्रक्रिया प्रारम्भ कर रहा हूं।

सुश्री मायावती–

मान्यवर, मतदान से पहले मत पेटिका को खुलवाकर दिखवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष–

मैं अधिकारियों को निर्देश देता हूं कि कृपया मतदान के पूर्व बैलेट बाक्स को एक दम खाली कराकर देख लें और इस बाक्स को टी० वी० कैमरे की ओर भी दिखा दीजिये कि बाक्स एकदम खाली है।

(मत पेटिका खुलवाकर सभी ओर दिखाई गई)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सुश्री मायावती–

मान्यवर, बी० एस० पी० के 12 विधायकों का मामला विवादित है, आपने उनको उधर बैठा रखा है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य इस बात के लिये स्वतंत्र हैं कि वह रजिस्टर पर, मत-पत्र पर काउन्टर फाइल पर, मुख्य मत-पत्र पर अपनी स्वयं की लेखनी से हस्ताक्षर कर सकते हैं। आपकी जो शंका है, मैं आपकी शंका का समाधान कर देता हूं। देखिये मायावती जी, यह खुला मतदान है और यह इस सदन की प्रक्रिया का अंग है, इस कार्यवाही का अंग है, इसलिये जो माननीय सदस्य जिसके पक्ष में वोट देंगे, यहां उनका नाम लिखा रहेगा और नाम के साथ कार्यवाही में दर्ज रहेगा कि अमुक सदस्य ने अमुक के पक्ष में वोट दिया है। जो विवादित सदस्य हैं, उन्होंने किसको वोट दिया है, यह भी स्पष्ट हो जायेगा, बाकी आप उच्चतम न्यायालय में अपनी बात कहियेगा।

सुश्री मायावती–

मान्यवर, आपको इन विधायकों की अलग से वोटिंग कराकर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना चाहिये, इसलिये सीक्रेट वोटिंग कराई जाय।

श्री अध्यक्ष–

मैं एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहता हूं। यदि किसी माननीय सदस्य ने श्री कल्याण सिंह और श्री जगदम्बिका पाल दोनों महानुभावों के नाम के आगे हस्ताक्षर किया है तो वह मत नहीं गिना जायेगा। यदि किसी माननीय सदस्य ने श्री जगदम्बिका पाल अथवा श्री कल्याण सिंह जी के नाम के आगे हस्ताक्षर नहीं किया है तो यह समझा जायेगा कि ऐसे माननीय सदस्य मतदान करने से विरत रहे। मैं पुनः कह रहा हूं। यदि किसी माननीय सदस्य ने दोनों महानुभावों के आगे हस्ताक्षर कर दिया तो यह माना जायेगा कि उन्होंने किसी को मत नहीं दिया है।

(बीच में कुंवर रेवती रमण सिंह द्वारा कुछ कहने का प्रयास करने पर व्यवधान)

प्रदेश में मुख्य मंत्री पद के दो दावेदार श्री कल्याण सिंह तथा श्री जगदम्बिका पाल के मध्य मतदान एवं परिणाम

श्री अध्यक्ष–

अब मैं मतदान की प्रक्रिया प्रारम्भ कर रहा हूं। सचिव कृपया माननीय सदस्यों के नाम बुलाना प्रारम्भ करें।

माननीय श्री संदीप अग्रवाल और श्री सत्य प्रकाश विकल दोनों माननीय सदस्य बहुत गंभीर रूप से अस्वस्थ हैं, मैंने निर्देश दिया है कि श्री सत्य प्रकाश विकल जी और श्री संदीप अग्रवाल जी पहले मतदान कर दें इसके बाद इन दोनों को जाने की अनुमति भी दे देंगे। क्योंकि ये दोनों यहां रहने के इच्छुक भी नहीं है।

(श्री संदीप अग्रवाल एवं श्री सत्य प्रकाश विकल जी को मतदान हेतु लाया गया) उक्त दोनों माननीय सदस्यों ने अपना मतदान किया।

(मतदान के मध्य)

श्री राम स्वरूप सिंह जी जो विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 21 से चुनकर आये हैं । आपने मतदान कर लिया है । आप अस्वस्थ हैं । इसलिये आपको जाने की अनुमति दी जा रही है इस शर्त के साथ कि वह दुबारा इस सदन में आज नहीं आयेंगे ।

(टोका टाकी के मध्य)

मैं तो चाहता हूं कि वह बार-बार चुनकर इस सदन में आयें ।

(माननीय सदस्यों द्वारा जलपान/भोजन आदि की व्यवस्था के लिये अनुरोध करने पर)

माननीय सदस्य विधान सभा, सचिवालय की ओर से अभी चाय और कुछ जलपान की व्यवस्था कर दी गयी है कुछ समय के पश्चात् भोजन की भी व्यवस्था कर देंगे । इसका वितरण विधान सभा सचिवालय के ही कर्मचारी करेंगे कोई बाहरी व्यक्ति नहीं करेगा ।

(मतदान के मध्य)

माननीय सदस्य कृपया ध्यान दें इस सदन की कुछ माननीय महिला सदस्य हैं उन्हें कुछ स्वाभाविक कठिनाइयां महसूस हो रही हैं । माननीय श्री कल्याण सिंह जी और श्री जगदम्बिका पाल जी इस बात पर सहमत हैं कि उनका वोट पहले करवा दिया जाय उसके पश्चात् वह जाना चाहें तो चली जायें । सदन इससे सहमत है । जो माननीय सदस्य इस समय मतदान कर रहे हैं उनके बाद महिला सदस्य अपना वोट डाल दें । जो सदस्य रहना चाहती हैं उसमें कोई आपत्ति नहीं है जो सदन से बाहर जाना चाहती हैं वह जा सकतीं हैं । उसके बाद जब यहां उपस्थित माननीय सदस्यगण अपना मतदान पूरा कर सकेंगे तब जब मैंने कहा है कि जो रासुका में निरुद्ध माननीय सदस्य हैं उनका मतदान करवायेंगे तो उस समय मैं आपकी प्रार्थना पर विचार कर लूंगा ।

इस समय वे स्वतंत्र हैं वह कहीं चले जायें । अगर एक माननीय सदस्य के लिये प्रक्रिया तोड़नी पड़ेगी तो वह उचित नहीं है । मैंने अनुरोध किया है कि वह हमारे कक्ष में बैठ जायें, माननीय अध्यक्ष के कक्ष में बैठ जायें अथवा थोड़ा विलम्ब से आ जायें अन्दर से बाहर जाने में कोई समस्या नहीं है, बाहर जाने में कोई दिक्कत नहीं है माननीय रेवती रमण जी आप जान रहे हैं कि क्या स्थिति है, हमारी मजबूरी है ।

(मतदान के मध्य)

निर्वाचन क्षेत्र संख्या 20 श्रीमती ओमवती देवी जी ने भी सदन से बाहर जाने की अनुमति मांगी है वह अपना मत डाल चुकी हैं । श्री कल्याण सिंह और श्री जगदम्बिका पाल जी को भी कोई आपत्ति नहीं है इसलिये इस शर्त के साथ कि वह आज की शेष कार्यवाही में भाग नहीं लेंगी । बाहर जाने की अनुमति दी जाती है ।

(मतदान के मध्य)

निर्वाचन क्षेत्र संख्या 41 से माननीय श्री राम खिलाड़ी सिंह, निर्वाचन क्षेत्र संख्या 42 से निर्वाचित श्री ओमकार सिंह, निर्वाचन क्षेत्र संख्या 95 से निर्वाचित श्री गंगा बख्श सिंह अपना मतदान कर चुके हैं और बाहर जाने की अनुमति चाहते हैं । माननीय श्री कल्याण सिंह जी और माननीय श्री जगदम्बिका पाल को इसमें कोई आपत्ति नहीं है, अतः इन तीन माननीय सदस्यों को बाहर जाने की अनुमति दी जाती है इस शर्त के साथ कि वह आज की शेष कार्यवाही में भाग लेने नहीं आयेंगे ।

(मतदान के मध्य)

निर्वाचन क्षेत्र संख्या 79 श्री राधेश्याम जायसवाल, निर्वाचन क्षेत्र संख्या 80 से निर्वाचित श्री रमेश राही, निर्वाचन क्षेत्र संख्या 81 से निर्वाचित श्री ओम प्रकाश गुप्त, निर्वाचन क्षेत्र संख्या 26 से चौधरी रिफाकत हुसैन, निर्वाचन क्षेत्र संख्या 78 से निर्वाचित श्री नुनियाद हुसैन अंसारी यह सभी मतदान कर चुके हैं और इस शर्त पर सदन के बाहर जाने की अनुमति मांगी है कि वह आज की शेष कार्यवाही में भाग लेने के लिये नहीं आयेंगे । माननीय श्री कल्याण सिंह जी और माननीय श्री जगदम्बिका पाल जी को इसमें कोई आपत्ति नहीं है इसलिए उन्हें अनुमति दी जा रही है ।

इसी प्रकार से माननीय श्री श्याम लाल रावत जो निर्वाचन क्षेत्र संख्या 77 से निर्वाचित हैं उन्होंने भी इसी शर्त के साथ अनुमति मांगी है । माननीय कल्याण सिंह जी को और श्री जगदम्बिका पाल जी सहमत हैं इसलिए उनको अनुमति दी जा रही है ।

निर्वाचन क्षेत्र संख्या 74 से निर्वाचित श्री महेन्द्र कुमार ने भी अनुमति मांगी है उन्हें भी इसी शर्त के साथ माननीय कल्याण सिंह जी और माननीय पाल जी की सहमति से अनुमति दी जा रही है कि वह आज की शेष कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे ।

(मतदान के मध्य)

अगर प्रेस दीर्घा में बैठे हुए माननीय पत्रकार महोदय अगर यहां बात करेंगे तो मैं कहूंगा कि वह कृपया प्रेस दीर्घा छोड़कर चले जायं । कृपया चले जाइये, प्रेस दीर्घा खाली कर दीजिए, कोई नहीं रहेगा । जो ऊपर टी० वी० के कैमरे से शाट्स आ रहे हैं वही रहेंगे । कृपया प्रेस दीर्घा खाली कर दीजिए ।

माननीय सदस्य अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं महसूस करते हैं तो मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा ।

जो प्रेस के लोग नीचे की दीर्घा में थे ऊपर की दीर्घा में जा सकते हैं ।

(मतदान के मध्य)

माननीय सदस्यों की सूचना के लिए कि विधान सभा सचिवालय की ओर से जो भोजन के पैकेट्स हैं वह पटल कार्यालय में आ गये हैं, जो माननीय सदस्य भोजन करना चाहें वह लाबी में जाकर भोजन कर लें, परन्तु इस बीच में मतदान की प्रक्रिया चलती रहेगी ।

(मतदान के मध्य)

निर्वाचन क्षेत्र संख्या 136 से निर्वाचित श्री मित्रसेन यादव, विधान सभा क्षेत्र संख्या 142 से निर्वाचित श्री फरीद महफूज किदवई, यह दोनों माननीय सदस्य लोक सभा के उम्मीदवार हैं और 2 तारीख से मतगणना होने वाली है उसकी व्यवस्था के संबंध में जाना चाहते हैं, आपने बाहर जाने की अनुमति मांगी है, श्री अफरोज अली खां जो विधान सभा क्षेत्र संख्या 37 से निर्वाचित सदस्य हैं, उनकी माता जी भी लोक सभा की उम्मीदवार हैं इन्होंने भी सदन से बाहर जाने की अनुमति मांगी है । श्री कल्याण सिंह जी और श्री जगदम्बिका पाल जी को कोई आपत्ति नहीं है इसलिए इनको भी उसी शर्त के साथ कि यह विधान सभा की आज की शेष कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे, जाने की अनुमति दी जाती है ।

(मतदान के मध्य)

विधान सभा क्षेत्र संख्या 37 से निर्वाचित श्री अफरोज अली खां नहीं बल्कि विधान सभा क्षेत्र संख्या 38 से श्री काजिम अली खां की माता जी लोक सभा का चुनाव लड़ रही है इसलिए उन्हें इस शर्त के साथ कि वह आज की शेष कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे, बाहर जाने की अनुमति दी जाती है।

श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी जो विधान सभा क्षेत्र 141 से निर्वाचित होकर आये हैं, आपका कहना है कि वह डायबिटीज के गंभीर पेशेन्ट हैं, उन्हें भी इस शर्त के साथ कि वह आज की शेष कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे, जाने की अनुमति दी जाती है। श्री कल्याण सिंह जी और श्री जगदम्बिका पाल जी को इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

(मतदान के मध्य)

निर्वाचन क्षेत्र संख्या 214 से निर्वाचित श्री राम नरेश यादव जी लोक सभा के उम्मीदवार हैं, आपने मतदान कर लिया है और जाना चाहते हैं। श्री कल्याण सिंह जी और श्री जगदम्बिका पाल जी को इसमें कोई आपत्ति नहीं है अतैव इस शर्त के साथ कि वह आज की शेष कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे, बाहर जाने की अनुमति दी जाती है।

(श्री अम्बिका चौधरी द्वारा टोका टाकी करने पर) माननीय अम्बिका चौधरी जी, आप यह मत भूलिये, आप टी० वी० के कैमरे में आ रहे हैं।

(मतदान के मध्य)

निर्वाचन क्षेत्र संख्या 35 से निर्वाचित श्री कुंवर सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, निर्वाचन क्षेत्र संख्या 51 से निर्वाचित श्री अशफाक अहमद ने सदन से बाहर जाने की अनुमति मांगी है। यह दोनों माननीय सदस्य अपना मत डाल चुके हैं। श्री कल्याण सिंह जी और श्री जगदम्बिका पाल जी को कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए इस शर्त के साथ कि यह दोनों माननीय सदस्य आज की शेष कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे, जाने की अनुमति दी जाती है।

(मतदान के मध्य)

निर्वाचन क्षेत्र संख्या 182 से निर्वाचित श्रीमती गौरी देवी, निर्वाचन क्षेत्र संख्या 303 से निर्वाचित श्रीमती सुख देवी वर्मा, निर्वाचन क्षेत्र संख्या 270 से निर्वाचित श्रीमती विजमा यादव सदन से बाहर जाना चाहती हैं उनका कहना है कि वह शेष कार्यवाही में नहीं आना चाहती हैं श्री कल्याण सिंह जी और श्री पाल जी को आपत्ति नहीं है। अतः उन्हें सदन से बाहर जाने की अनुमति दी जा रही है। वह स्वयं कह रही हैं कि वह शेष कार्यवाही में भाग नहीं लेना चाहती हैं।

निर्वाचन क्षेत्र संख्या 39 से निर्वाचित स्वामी परमानन्द दण्डी निर्वाचन क्षेत्र संख्या 121 से निर्वाचित श्री राम हर्ष सिंह तथा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 251 से निर्वाचित श्री पारस नाथ यादव जी भी स्वास्थ्य के आधार पर जाना चाहते हैं। श्री कल्याण सिंह जी व श्री जगदम्बिका पाल जी को कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए आप सबको भी बाहर जाने की अनुमति दी जाती है इसी शर्त के साथ।

(मतदान के मध्य)

निर्वाचन क्षेत्र संख्या 109 से निर्वाचित श्री अखिलेश कुमार सिंह जी, निर्वाचन क्षेत्र संख्या 231 से निर्वाचित श्री ओम प्रकाश, निर्वाचन क्षेत्र संख्या 197 से निर्वाचित श्री कुंवर रतन जीत प्रताप नारायण सिंह जी निर्वाचन क्षेत्र संख्या 135 से निर्वाचित श्री सीताराम निषाद, निर्वाचन क्षेत्र संख्या 310 से निर्वाचित श्री छोटे सिंह यादव जी अपना मत डाल चुके हैं और बाहर जाने की अनुमति चाहते हैं।

श्री कल्याण सिंह जी और श्री जगदम्बिका पाल जी को कोई आपत्ति नहीं है । इस शर्त के साथ कि वह आज की शेष कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे, जाने की अनुमति दी जाती है । इसी प्रकार निर्वाचन क्षेत्र संख्या 342 से निर्वाचित श्री मानिक चन्द यादव जी भी जाना चाहते हैं । यह अपना मत डाल चुके हैं । श्री कल्याण सिंह जी और श्री जगदम्बिका पाल जी को कोई आपत्ति नहीं है । इनको भी इसी शर्त के साथ जाने की अनुमति दी जाती है ।

निर्वाचन क्षेत्र संख्या 343 से निर्वाचित श्री रामेश्वर सिंह यादव जी लोक सभा के उम्मीदवार हैं वह जाना चाहते हैं उन्होंने मतदान कर दिया है उनके जाने में श्री कल्याण सिंह जी और श्री जगदम्बिका पाल को कोई आपत्ति नहीं है अतः उन्हें इस शर्त के साथ कि आज की शेष कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे, जाने की अनुमति दी जाती है । उनके साथ निर्वाचन क्षेत्र संख्या 344 से निर्वाचित श्री कुंवर देवेन्द्र सिंह, निर्वाचन क्षेत्र संख्या 348 से निर्वाचित श्री शिशुपाल यादव तथा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 345 से निर्वाचित श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी भी जाना चाहते हैं । इन सदने सूचित किया है कि वह आज की विधान सभा की शेष कार्यवाही में भाग नहीं लेना चाहते हैं, उन्होंने मतदान कर दिया है । माननीय श्री कल्याण सिंह जी और श्री जगदम्बिका पाल जी को इसमें कोई आपत्ति नहीं है अतः इन्हें भी उसी शर्त के साथ बाहर जाने की अनुमति दी जा रही है ।

इसी प्रकार से निर्वाचन संख्या 94 से श्री दीपक कुमार तथा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 287 से निर्वाचित श्री मुश्ताक सोलंकी जी भी मतदान कर चुके हैं और वह कहते हैं कि सदन के शेष कार्यवाही में वह भाग नहीं लेना चाहते हैं । श्री कल्याण सिंह व श्री जगदम्बिका पाल जी को इसमें कोई आपत्ति नहीं है । अतः इन्हें भी उसी शर्त के साथ बाहर जाने की अनुमति दी जाती है ।

यह देखें कि बाहर कौन-कौन जा रहा है । दूसरे लोगों को कोई अनुमति नहीं है ।

डा० अशोक बाजपेयी जी जो अध्यक्ष के कमरे में सम्मानपूर्वक बैठे हैं । अभी तक सचिव ने जितने नाम पुकारे हैं, मुझे विश्वास है कि सभी ने अपना मत दे दिया है । अब भी यदि कोई माननीय सदस्य सदन में उपस्थित है, जो अपना मतदान नहीं कर सके हैं तो कृपया वह अपना मतदान कर लें ।

डा० अशोक बाजपेयी जी विलम्ब से आये थे । जब यहां के द्वार बन्द हो गये थे, लेकिन माननीय सदस्य हैं, आप सबके अनुरोध को मैंने स्वीकार कर लिया है । मैंने उन्हें वोट डालने की अनुमति दे दी है । डा० अशोक बाजपेयी जी अपना मतदान करें ।

(डा० अशोक बाजपेयी जी ने अपना मत दिया).

इस सदन के 5 सम्मानित सदस्य राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में निरुद्ध हैं । कुछ माननीय सदस्यों ने अनुरोध किया था कि निरुद्ध होने के बावजूद भी उनको मतदान के लिए बुलाया जाय । यद्यपि यह विधिक राय भी है कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में निरुद्ध है वह उसे सदन की कार्यवाही में भाग लेने का कोई विधिक अधिकार नहीं है । फिर भी आप सब की भावनाओं का ध्यान रखते हुए मैंने इस पर शासन से निवेदन किया और शासन ने मेरे अनुरोध को स्वीकार कर लिया । मेरे निर्देश पर पुलिस की हिरासत में वह यहां पर टण्डन हाल में आये हुए हैं । वहां से एक-एक करके जिनका नाम सचिव पुकारेंगे, मार्शल को निर्देश दिया जाता है कि वह उनको लायें और उनका मतदान करायें । मतदान की विधि मैं बता दे रहा हूं ।

सचिव, विधान सभा–

निर्वाचन क्षेत्र संख्या 59, श्री अनीस खां ।

श्री अध्यक्ष–

मैं उनको मतदान की प्रक्रिया विस्तारपूर्वक बता दूंगा । जहां कहीं भ्रम होगा, उसको स्पष्ट कर दूंगा ।

(कतिपय मा० सदस्यों द्वारा शेष चार सदस्यों को भी एक साथ सदन में बुलाने की मांग पर)

ठीक है, शेष चार को भी बुला लिया जाय । मार्शल को निर्देश दिया जाता है कि वह उन चार माननीय सदस्यों को भी ले आयेंगे ।

(निर्वाचन क्षेत्र संख्या 186 से श्री चन्द्रेश पासवान का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

मार्शल, चारों मा० सदस्यों को ले आयें । सभी पांच माननीय सदस्यों को एक साथ बैठा दें । मैं एक साथ मतदान की विधि बता देता हूं । सचिव, अब चार माननीय सदस्यों का नाम पुकारें ।

सचिव, विधान सभा–

निर्वाचन क्षेत्र संख्या 186 श्री चन्द्रेश पासवान निर्वाचन क्षेत्र संख्या 220 श्री मुख्तार अन्सारी, निर्वाचन क्षेत्र संख्या 261 श्री हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, निर्वाचन क्षेत्र संख्या 361 श्री बाबू लाल ।

श्री अध्यक्ष–

सभी पांच माननीय सदस्य सामने आ जायें । अब मैं मतदान की प्रक्रिया बतला देता हूं ।

(मतदान की प्रक्रिया विस्तार से बताई गई)

(श्री मुख्तार अंसारी द्वारा श्री अवधेश प्रसाद से बात करने तथा किसी कागज पर हस्ताक्षर करने पर)

मैं देख रहा हूं । मैं इसे अभिलेखों पर लिख भी रहा हूं । यह अनुचित बात है । मैंने केवल वोट डालने के लिए बुलवाया है । यह गलत बात है । मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं ताकि यह बात रिकार्ड/अभिलेखों पर आ जाय । यह विशेष उद्देश्य के लिये, मत के लिए, बहुमत जानने के लिए उपवेशन बुलाया गया है । माननीय सदस्य, जो दस्तखत कर रहे हैं, उनके चेहरे कैमरे में आ जायेंगे । यह अनुचित बात है, मैं शासन का ध्यान, जिन माननीय सदस्यों ने किया है, किस कागज पर दस्तखत कराये हैं, क्या किया है, आकर्षित कर दूंगा ।

(श्री मुख्तार अंसारी ने मत डालने के बाद माननीय अध्यक्ष जी के पास जाकर एक कागज दिया)

यह तो पहले से ही टाइप करवाकर लायें हैं । आप पैरवी क्यों कर रहे हैं ? यदि अभी हस्ताक्षर हुआ है तो मैं इस बात को दर्ज करूंगा । यह बहुत ही अच्छा हुआ, जिन माननीय सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं, उनके नाम आ गये । जिस कारागार में श्री मुख्तार जी बंद थे, उस पर कैसे आपने हस्ताक्षर कर लिये ? माननीय सदस्यों ने सदन में यहां पर हस्ताक्षर किया है, मैं इस बात को नोट कर लेता हूं । इसका जो भी कानूनी उपयोग होगा, मैं इसको अभिलेखों में रख लेता हूं । मैं इसे अभिलेखों पर रख

लेता हूं। मुझे और कुछ नहीं करना है। यह तो आप हस्ताक्षर न भी करते तो वैसे भी लाकर दे सकते थे।

अब भी अगर इस माननीय सदन में कोई सदस्य ऐसा हो, जो सभा मण्डप में उपस्थित हो और जिनका मतदान नहीं हुआ है तो वह आकर अपना मत दे सकता है।

(कुछ माननीय सदस्यों ने अभी यहां मतदान नहीं किया है।)

मास्टर कंवर पाल सिंह तथा श्री पीटर फैन्थम जी अगर इस सभा मण्डप में उपस्थित हैं तो वह कृपया अपना मतदान कर दें। इस समय 6.54 हो गया है। अब कोई भी ऐसे माननीय सदस्य सभा मण्डप में नहीं है, जिन्होंने मतदान न किया हो। इसलिये अब इस कार्यवाही को समाप्त करके, बाक्स बंद करके मतगणना की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है। श्री कल्याण सिंह जी व श्री पाल जी के वोट अगर बराबर होंगे तो मैं अपना कास्टिंग वोट दूंगा।

माननीय सदस्यों से एक निवेदन है कि मत-पत्रों की छटाई का कार्य प्रारम्भ हो रहा है, इसके पश्चात् परिणाम की घोषणा होगी। परिणाम की घोषणा के बाद हम सब 'जन गण मन' राष्ट्रीय-गान के साथ इस उपवेशन का समापन करेंगे। तो घोषणा के पश्चात् मैं अपेक्षा करता हूं कि सदन में शान्ति बनी रहेगी और जब राष्ट्रगीत का गायन कर लेंगे तब उसके बाद सदन की आज की कार्यवाही समाप्त होगी। उसके पश्चात् अनिश्चित कालीन स्थगन होगा।

सचिव, मत-पत्र से बोलते जायेंगे कि किस के पक्ष में वह मत पत्र है। मेरी दाहिने ओर की ट्रे श्री कल्याण सिंह जी के मतों के लिये रहेगी और बायीं ओर की ट्रे श्री जगदम्बिका पाल जी के मतों के लिये रहेगी।

(मत गणना की प्रक्रिया पूरी होने पर)

कृपया शांत रहिये। मैं इस सदन के सभी सम्मानित सदस्यों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार मतदान की प्रक्रिया को संचालित करने में आपने सहायता दी, योगदान दिया मतदान शांतिपूर्ण ढंग से, बहुत सुचारु रूप से हुआ। मतदान में कुल 422 सदस्यों ने वोट डाले। 422 में से एक माननीय सदस्य ने श्री कल्याण सिंह जी के नाम के सामने अपने हस्ताक्षर करने के बजाय टिक का सही का निशान लगा दिया है। मैंने अपेक्षा की थी और जो मतदान की प्रक्रिया में उल्लेख भी किया था कि मा० सदस्य अपने हस्ताक्षर करें जिसको मत देना चाहते हैं उसके नाम के समक्ष। वैसे तो इस विधान सभा में पहले भी हुआ है कि किसी का मत स्पष्ट अगर नहीं है तो उस माननीय सदस्य से पूंछ लिया जाता है, क्योंकि खुला मतदान है, लेकिन मैं इस मत को अभी कल्याण सिंह जी के पक्ष में नहीं गिन रहा हूं। शेष मत जो पड़े हैं माननीय श्री जगदम्बिका पाल जी को 196 मत मिले हैं और श्री कल्याण सिंह जी को 225 मत मिले हैं। इस एक मत को जोड़ने से 226 मत होंगे अगर नहीं जोड़ेंगे तो 225 मत होंगे।

सर्वोच्च न्यायालय ने जो अपेक्षा की थी उस अपेक्षा के अनुसार मैंने आप सभी के सहयोग से निष्पक्ष और पूरी तरह से स्वच्छ मतदान कराया है। आप सबके सामने में हुआ है और जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने अपेक्षा की है, जो अपेक्षा की जानी चाहिये, और की जाती रही है, कि अध्यक्ष महोदय द्वारा इस कम्पोजिट फ्लोर टेस्ट को, सम्मिश्रित शक्ति परीक्षण का परिणाम निष्ठापूर्वक और सत्य निष्ठा के साथ घोषित किया जायेगा। इस प्रकार मैं निष्ठापूर्वक और सत्यनिष्ठा से इस मतदान का परिणाम यह घोषित करता हूं कि श्री जगदम्बिका पाल जी के पक्ष में 196 तथा श्री कल्याण सिंह जी के पक्ष में 225 मत मिले हैं। एक मत जिसमें श्री कल्याण सिंह जी के नाम के सामने सही का निशान

लगाया है, माननीय सदस्य ने उस स्तम्भ के आगे हस्ताक्षर अपने नहीं किये हैं लेकिन उनका इरादा स्पष्ट है, फिलहाल उसे मैं श्री कल्याण सिंह जी के पक्ष में नहीं गिन रहा हूं।

मतदान परिणाम का विस्तृत विवरण निम्नांकित है :–

माननीय श्री कल्याण सिंह के पक्ष में निम्नलिखित सदस्यों ने मतदान किया
(कुल संख्या-225)

1–श्री ज्ञान चन्द्र
2–श्री लाखी राम जोशी
3–श्री मातवर सिंह कंडारी
4–श्री भारत सिंह रावत
5–श्री मोहन सिंह रावत
6–डा० रमेश पोखरियाल निशंक
7–श्री केदार सिंह फोनिया
8–श्री विशन सिंह चुफाल
9–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा
10–श्री रघुनाथ सिंह चौहान
11–श्री नारायण राम दास
12–श्री अजय भट्ट
13–श्री बंशीधर भगत
14–श्री सुरेश चन्द्र आर्य
15–श्री तिलक राज बेहड़
16–डा० वेद प्रकाश सिंह एम०एस०
17–श्री इन्द्र देव
18–श्री राजा गजनफर अली खां
19–श्री राजेश कुमार सिंह
20–श्री मंगल सिंह
21–श्री तोता राम
22–श्रीमती गुलाब देवी
23–मेजर जगतपाल सिंह
24–श्री संदीप अग्रवाल
25–कुंवर सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार
26–श्री शिव बहादुर सक्सेना
27–श्री प्रेम स्वरूप पाठक
28–श्री भगवान सिंह शाक्य
29–श्री राम सेवक सिंह
30–श्री धर्मपाल सिंह
31–श्रीमती सुमन लता सिंह
32–श्री राजेश अग्रवाल
33–श्री बहोरन लाल मौर्य
34–श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह
35–श्री हरीश चन्द्र गंगवार
36–श्री पीतम राम
37–श्री कोविद कुमार
38–श्री सुरेश कुमार खन्ना
39–श्रीमती कृष्णा राज
40–पटेल राम कुमार वर्मा
41–श्री सरस्वती प्रताप सिंह
42–श्री अजित कुमार मेहरोत्रा
43–श्री राम पाल राजवंशी
44–श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल
45–श्री छोटे लाल
46–श्री गंगा सिंह चौहान
47–श्री बाबू लाल
48–श्री गंगा बक्श सिंह
49–श्री कृपा शंकर सिंह
50–श्री मस्त राम
51–श्री गोमती यादव
52–श्री विद्यासागर गुप्ता
53–श्री लालजी टण्डन
54–श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव
55–श्री सुरेश चन्द्र तिवारी
56–श्री शिव गणेश लोधी एडवोकेट

57-श्री दल बहादुर कोरी
58-कुंवर रघुराज प्रताप सिंह (राजा भइया)
59-श्री राम नाथ
60-श्री राजा राम
61-श्री शिवाकान्त
62-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह
63-श्री तेजभ. सिंह
64-श्री राम लखन
65-श्री जय नरायण तिवारी
66-श्री सूर्यभान
67-श्री अरुण प्रताप सिंह
68-श्री काशीनाथ
69-श्री शेर बहादुर
70-श्री लल्लू सिंह
71-श्री रामदेव आचार्य
72-श्री राजीव कुमार सिंह
73-श्री संग्राम सिंह
74-श्री जटाशंकर सिंह
75-श्री चन्द्रमणि कान्त सिंह
76-श्री अक्षयवर लाल
77-श्री बिन्दु लाल
78-श्री विनय कुमार पाण्डेय "बिन्नू"
79-श्री राम प्रताप सिंह
80-श्री दावन सिंह
81-श्री अजय प्रताप सिंह
82-श्री रमापति शास्त्री
83-श्री सुखपाल पाण्डेय
84-श्री वेद प्रकाश
85-चौधरी रवीन्द्र प्रताप
86-श्री धनराज यादव
87-श्री जय प्रताप सिंह
88-श्री दिवाकर विक्रम सिंह
89-श्री राम आसरे पासवान
90-श्री सन्त
91-श्री मारकण्डेय चन्द
92-श्री हरि शंकर तिवारी
93-श्री बेचन राम
94-श्री जितेन्द्र कुमार जायसवाल
95-श्री शिव प्रताप शुक्ल
96-श्री तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल
97-श्री फतेह बहादुर
98-श्री अमरमणि
99-श्री शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू
100-श्री चन्द्र किशोर
101-श्री ज्ञानेन्द्र सिंह
102-श्री दीप लाल भारती
103-श्री आनन्द प्रकाश
104-श्री सूर्य प्रताप शाही
105-श्री श्रीनिवास मणि
106-श्री जय प्रकाश निषाद
107-श्री प्रेम प्रकाश
108-श्री फागू
109-श्री नरेन्द्र
110-श्री यशवन्त
111-श्री श्रीराम
112-श्री अनिल कुमार
113-श्री हरि नारायण
114-श्री राजधारी
115-श्री बच्चा पाठक
116-श्री भरत सिंह
117-श्रीमती मंजू
118-श्री गणेश
119-डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय
120-श्री शिव पूजन राम
121-श्री छब्बू पटेल
122-श्री हरीश चन्द्र (हरीश जी)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

123-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)
124-श्री वीरेन्द्र सिंह
125-श्री अजय राय
126-श्री बचनू राम पटेल
127-श्री रंगनाथ मिश्रा
128-श्री गोरखनाथ पाण्डेय
129-श्री पूर्णमासी पंकज
130-श्री बंश नारायण सिंह
131-श्री अशोक कुमार सिंह
132-श्री बांकेलाल सोनकर
133-श्रीमती सीमा द्विवेदी
134-श्री ओम प्रकाश सिंह
135-श्री राम चन्द्र मौर्य
136-डा० सरजीत सिंह डंग
137-श्री भाई लाल
138-श्री राकेशधर त्रिपाठी
139-श्री रंग बहादुर पटेल
140-श्री विक्रमाजीत मौर्य
141-डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर
142-श्री मुन्ना लाल मौर्य
143-श्री राधेश्याम गुप्त
144-श्री कारिन्दा हरान
145-श्री राजेन्द्र सिंह पटेल
146-श्री राजेश सोनकर
147-श्री नीरज चतुर्वेदी
148-श्री सतीश महाना
149-श्री बाल चन्द्र मिश्र
150-श्रीमती प्रेम लता कटियार
151-डा० राम आसरे सिंह कुशवाहा
152-श्री राधेश्याम
153-चौधरी नरेन्द्र सिंह
154-श्री मथुरा प्रसाद
155-श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह
156-श्री लाल सिंह वर्मा
157-श्री जयवीर सिंह भदौरिया
158-श्री बनवारी लाल दोहरे
159-श्री कैलाश सिंह राजपूत
160-श्रीमती प्रभा द्विवेदी
161-श्री सुशील शाक्य
162-श्री शिव शंकर सिंह
163-श्री विवेक कुमार सिंह
164-श्री बादशाह सिंह
165-डा० छोटे लाल वर्मा
166-श्री अरिमर्दन सिंह
167-डा० अरविन्द कुमार जैन
168-श्री रवीन्द्र शुक्ला
169-श्री बिहारी लाल आर्य
170-श्री दया शंकर
171-श्री बाबू राम
172-श्री सन्त राम
173-श्री अशोक यादव
174-श्री ओंकार सिंह
175-श्री नेतराम सिंह
176-श्री ओम प्रकाश
177-श्रीमती मिथिलेश कुमारी
178-श्री रघुवर दयाल वर्मा
179-श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह
180-श्री शिव सिंह चक
181-श्री केशो मेहरा
182-श्री सत्य प्रकाश विकल
183-डा० राम बाबू हरित
184-श्री मण्डलेश्वर सिंह
185-श्री अजय कुमार पोइया
186-श्री राम स्वरूप शर्मा
187-चौ० लक्ष्मी नारायण
188-श्री श्याम सुन्दर शर्मा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

189–श्री सरदार सिंह
190–श्री विशम्भर सिंह
191–श्री हरिशंकर माहौर
192–श्री यशपाल सिंह चौहान
193–डा० राम सिंह
194–श्री कल्याण सिंह
195–श्रीमती राम सखी
196–श्री मलखान सिंह
197–श्री दलवीर सिंह
198–डा० ज्ञानवती सिंह
199–श्री होराम सिंह
200–श्री हरपाल सिंह
201–श्री राम सिंह
202–श्री सतीश शर्मा
203–श्री राकेश त्यागी
204–श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही
205–श्री महेन्द्र सिंह यादव
206–श्री महेन्द्र कुमार
207–श्री नवाब सिंह नागर
208–श्री बालेश्वर त्यागी
209–श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया
210–श्री जय प्रकाश
211–श्री राम नरेश रावत
212–श्री अतुल कुमार
213–प्रो० रवीन्द्र पुण्डीर
214–श्री अमित अग्रवाल
215–डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी
216–श्री जयपाल सिंह
217–श्री रूप चौधरी
218–श्रीमती सुशीला अग्रवाल
219–श्री रणधीर सिंह
220–श्री प्रदीप कुमार
221–श्री हुकुम सिंह
222–श्री निर्भयपाल शर्मा
223–श्री सुखवीर सिंह पुण्डीर
224–श्री राजेन्द्र सिंह
225–श्री हरवंश कपूर

माननीय श्री जगदम्बिका पाल के पक्ष में निम्नलिखित सदस्यों ने मतदान किया
(कुल संख्या–196)

1–श्री के० सी० सिंह बाबा
2–श्री मूल चन्द
3–श्रीमती ओमवती देवी
4–श्री राम स्वरूप सिंह
5–स्वामी ओइमवेश
6–चौधरी रिफाकत हुसैन
7–श्री इकबाल महमूद
8–श्री बृजेन्द्र पाल सिंह
9–श्री अकबर हुसैन
10–श्री सौलत अली
11–श्री अफरोज अली खां
12–श्री काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां
13–स्वामी परमानन्द दण्डी
14–श्री योगेन्द्र कुमार
15–श्री राम खिलाड़ी
16–श्री ओमकार सिंह
17–श्री भोला शंकर मौर्य
18–श्री प्रेम पाल सिंह
19–श्री नन्द राम
20–श्री अशफाक अहमद
21–श्री छोटे लाल गंगवार
22–श्री अनीस खां

23–श्री गोपाल कृष्ण
24–श्री चेतराम
25–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मुन्ना
26–श्री शरदवीर सिंह
27–श्री राम अवतार मिश्र
28–श्री अरविन्द गिरि
29–श्री मोती लाल
30–डा० कौशल किशोर
31–श्रीमती माया प्रसाद
32–श्री महेन्द्र कुमार
33–डा० अम्मार रिजवी
34–श्री श्याम लाल रावत
35–श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी
36–श्री राधेश्याम जायसवाल
37–श्री रमेश राही
38–श्री ओम प्रकाश गुप्त
39–श्री राम पाल वर्मा
40–श्री अब्दुल मन्नान
41–श्री श्याम प्रकाश
42–डा० अशोक बाजपेयी
43–श्री बाबू खां
44–श्री धर्मेश मिश्र
45–श्री राम शंकर पाल
46–श्री दीपक कुमार
47–श्री उदय राज यादव
48–श्री गौरी शंकर एडवोकेट
49–श्री श्याम किशोर यादव
50–श्री आर० के० चौधरी
51–श्री श्याम सुन्दर
52–डा० मुस्लिम
53–श्री अखिलेश कुमार सिंह
54–श्री अशोक कुमार सिंह
55–श्री स्वामी प्रसाद मौर्य
56–श्री प्रमोद कुमार
57–श्री चन्द्र नाथ सिंह
58–श्री राम हर्ष सिंह
59–श्री राम रतन यादव
60–श्री धर्म राज निषाद
61–श्री राम अचल राजभर
62–श्री भीम प्रसाद
63–श्री लालजी वर्मा
64–श्री सीताराम निषाद
65–श्री मित्रसेन यादव
66–श्री अवधेश प्रसाद
67–श्री कमला प्रसाद रावत
68–श्री सुरेन्द्र नाथ
69–श्री फरीद महफूज किदवई
70–श्री हरदेव सिंह
71–श्री सरवर अली खां
72–श्री राम तेज यादव एडवोकेट
73–श्री अरूणवीर सिंह
74–श्री दिलीप कुमार
75–श्री शब्बीर अहमद
76–डा० वकार अहमद शाह
77–श्री रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू भैया
78–श्री उदैदुर्रहमान
79–श्री राम विशुन आजाद
80–श्री राम पाल सिंह
81–श्री विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह
82–श्री राम प्रसाद चौधरी
83–श्री जगदम्बिका पाल
84–श्री राम ललित चौधरी
85–श्री तौफीक अहमद
86–श्री मोहम्मद मुकीम
87–श्री अब्दुल कलाम
88–श्री लाल मणि प्रसाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

89–श्रीमती गौरी देवी
90–श्री चन्द्रेश पारसवान
91–श्री विनोद मणि
92–श्री राधेश्याम सिंह
93–श्री राम नक्षत्र
94–श्री विश्वनाथ
95–श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव
96–श्री योगेन्द्र सिंह
97–श्री मुराद लारी
98–श्री सुधाकर सिंह
99–श्री राम प्यारे
100–श्री वसीम अहमद
101–श्री दुर्गा प्रसाद यादव
102–श्री आलम बदी
103–श्री विभूति प्रसाद निषाद
104–श्री राम नरेश यादव
105–श्री हीरा लाल गौतम
106–श्री राम जग
107–श्री मुख्तार अंसारी
108–श्री छोटे लाल राजभर
109–श्री अम्बिका चौधरी
110–श्री अफजाल अंसारी
111–श्री ओम प्रकाश
112–श्री कैलाश यादव
113–श्री राजेन्द्र
114–श्री विजय कुमार
115–श्री भोनू
116–श्री प्रभु नारायण सिंह यादव
117–श्री सत्य प्रकाश सोनकर
118–श्री अब्दुल कलाम
119–श्री पारस नाथ यादव
120–श्री जगदीश नारायण "मुन्ना"
121–श्री अफजाल अहमद
122–श्री श्रीराम यादव
123–श्री उमाकान्त यादव
124–श्री ज्वाला प्रसाद यादव
125–श्री विजय सिंह
126–श्री हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी
127–श्री लोक पति त्रिपाठी
128–श्री राम कृपाल
129–कुंवर रेवती रमण सिंह "मणि जी"
130–श्री राम सेवक सिंह
131–श्रीमती विजमा यादव
132–श्री जौखू लाल यादव
133–श्री अतीक अहमद
134–श्री विजय प्रकाश
135–श्री इन्द्र जीत सरोज
136–श्री मतेश चन्द्र सोनकर
137–श्री मुरलीधर
138–श्री मुश्ताक सोलंकी
139–श्री राजाराम पाल
140–श्री भगवती प्रसाद
141–श्री मुहर सिंह अम्दाडी
142–श्रीमती सुखदेवी वर्मा
143–श्री शिवपाल सिंह यादव
144–श्री महराज सिंह यादव
145–श्री धनीराम वर्मा
146–श्री छोटे सिंह यादव
147–श्री जमालुद्दीन सिद्दीकी
148–श्री नरेन्द्र सिंह यादव
149–श्री दद्दू प्रसाद
150–श्री आर० के० सिंह पटेल
151–श्री महेन्द्र पाल निषाद
152–श्री बाबू लाल कुशवाहा
153–श्री शिव चरन प्रजापति
154–श्री रामाधार सिंह

उत्तर प्रदेश विधान सभा

155–श्री पूरन सिंह बुन्देला
156–श्री सतीश जतारिया
157–श्री चन्द्र पाल सिंह
158–श्री श्रीराम
159–श्री राम औतार शाक्य
160–श्री रामेश्वर दयाल
161–श्री बाबूराम यादव
162–श्री रामवीर सिंह
163–श्रीमती उर्मिला देवी
164–श्री मानिक चन्द यादव
165–श्री रामेश्वर सिंह यादव
166– कुं० देवेन्द्र सिंह यादव
167–श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी
168– श्री शिशुपाल सिंह यादव
169–श्री विजय पाल सिंह
170–श्री गंगा प्रसाद पुष्कर
171–सेठ किशन लाल बघेल
172–श्री बाबू लाल
173–श्री रामवीर उपाध्याय
174–श्री अब्दुल खालिक
175–श्री नरेन्द्र सिंह भाटी
176–श्री राजपाल त्यागी
177–श्री परवेज हलीम खां
178–श्री बनारसी दास चांदना
179–श्री कौकब हमीद
180–श्री समर पाल सिंह
181–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना
182–श्री वीरेन्द्र सिंह
183–श्री राजपाल सिंह
184–श्री विजेन्द्र आर्य
185– श्री संजय सिंह
186–श्री अमीर आलम खान
187–श्री इल्म सिंह
188–सुश्री मायावती
189–श्री संजय गर्ग
190–श्री जगदीश सिंह राणा
191–श्री काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन
192–श्री अम्बरीष कुमार
193–श्री मुन्ना चौहान
194–कुंवर रतन जीत प्रताप नारायण सिंह
195–श्री अयोध्या प्रसाद पाल
196–श्री राम सिंह सैनी

नोट :–श्रीमती राजराय सिंह ने मतदान की प्रक्रिया की अपेक्षानुसार मत-पत्र पर श्री कल्याण सिंह के सामने स्तम्भ में हस्ताक्षर न करके √ (टिक) का चिन्ह अंकित किया ।

अब जैसा अपने यहां इस सदन में प्रक्रिया है माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी सदन को अनिश्चित काल के लिये प्रस्ताव लायेंगे । मैं सभी को बधाई देता हूं । उसके पश्चात् जन गण गीत का गायन होगा । तत्पश्चात् यह सदन अनिश्चित काल के लिये स्थगित होगा ।

(संसदीय कार्य मंत्री जी को पुकारे जाने पर)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, इससे पूर्व कि मैं प्रस्ताव रखूं मेरा एक आग्रह है ।

श्री अध्यक्ष–

इस मतदान के परिणाम के अनुसार इस सदन में श्री कल्याण सिंह जी को बहुमत प्राप्त है ।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आप माननीय कल्याण सिंह जी को निर्देशित करें कि वह विधिवत् आकर के इस आसन को ग्रहण करें।

सदन के अनिश्चित काल तक के लिये स्थगन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

राष्ट्र-गान

जन-गण-मन अधिनायक जय हे।
भारत-भाग्य-विधाता ॥
पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा
द्राविड़-उत्कल वंग।
विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,
उच्छल-जलधि-तरंग ॥
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे ॥
गाहे तव जय गाथा ॥
जन-गण-मंगलदायक जय हे,
भारत-भाग्य विधाता ॥
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे ॥

श्री अध्यक्ष–

अब हम अनिश्चित काल तक के लिए उठते हैं।

इसके बाद सदन 7 बजकर 55 मिनट पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हो गया।

लखनऊ : **प्रेम चन्द्र सक्सेना,**
26 फरवरी, 1998 सचिव।

पी० एस० यू० पी०–एल० 23 विधान सभा (30)-1998-813 (डी० टी० पी०)।

उत्तर प्रदेश विधान सभा